न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र

मु.न. 11/2023

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बहादुरवास

बनाम

रमेश पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी बहादुरवास तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं

–– अप्रार्थी

––

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

––

आदेश

दिनांक 23.08.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बहादुरवास द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम बहादुरवास के भूमि ख0न0 538/146 रकबा 3.57 है. किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.02 हैक्टर पर रमेश पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी बहादुरवास ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। गैरसायलान को नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल की ओर से मनकोरी देवी पत्नी कुरड़ाराम द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि उक्त पक्का मकान में हमारे द्वारा विधुत व पानी कनेक्शन ले रखा है उक्त भूमि का पट्टा मरे पति के नाम से बना हुआ है। जिस पर पिछले 50 वर्षो से अधिक रह रहे है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पटटे की जांच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का बहादुरवास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.08.2023 में अंकित किया कि राजस्व रिकॉर्ड एवं ग्राम पंचायत हनुमानपुरा के रिकॉर्ड से जांच करने पर पाया कि किसी भी सनद पट्टे का राजस्व रिकॉर्ड में अमद दरामद नहीं है और न ही ग्राम पंचायत हनुमानपुरा द्वारा जारी पट्टो की पत्रावली ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह/जोहड़ पर अतिक्रमण नही कर सकता है। चूंकि भूमि गैर मुमकिन चारागाह हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं। अतः गैरसायल को वादग्रस्त आराजी ख0न0 538/146 रकबा 3.57 है. गै.मु. चारागाह में से 0.02 है. पर पक्का निर्माण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारित किया जाता है। पेनेल्टी स्वरूप लगाान का 50 गुणा से 11/–रूपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावें। तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराई जावें। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि चारागाह भूमि पर बने पक्के निर्माण को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें व गैरसायल को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.08.24

(सुभाष चन्द्र)
तहसीलदार मंडावा

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.04 17:29:47 IST
Reason: SelfAttested

पंजी 4 के पृष्ठ संख्या 27 पर राशि 11 रू वर्ष 24-25 में मांग कायम की गयी।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned with OKEN Scanner